न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 03/2020 दायरा दिनांक : 06.01.2020

उनवान

1– श्री राकेश उम्र 37 साल पुत्र राजेश । जाति बैरागी, निवासी

2– रवि उम्र 35 साल पुत्र राजेश । गणेशपुरा गरनावद,

3– रंजना उम्र 28 साल पुत्री राजेश । तहसील पचपहाड़

4– ललताबाई उम्र 50 साल पत्नी स्व.राजेश। जिला झालावाड़

5– दुर्गीबाई पुत्री भंवरदास पत्नी राधेश्याम, जाति बैरागी, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– मधुसुदन । पिसरान लक्ष्मीनारायण, जाति बैरागी, निवासी

2– कैलाश । गणेशपुरा गरनावद, तहसील पचपहाड़,

3– दिनेश चन्द । जिला झालावाड़

4– सुरेश । पिसरान रमेश चन्द, जाति बैरागी, निवासी

5– मुकेश । गणेशपुरा गरनावद, तहसील पचपहाड़,

6– अरविन्द । जिला झालावाड़

7– सुभाष ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

8– गुड्डीबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी कन्हैयालाल, जाति बैरागी, निवासी नालोदिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

9– कौशल्याबाई पत्नी चन्द्र प्रकाश, जाति बैरागी, निवासी गणेशपुरा गरनावद,

10– गीताबाई पत्नी बाबूलाल, जाति बैरागी, निवासी गणेशपुरा गरनावद

11– अशोक आत्मज बाबूलाल

12– सत्यनारायण आत्मज बाबूलाल, जाति बैरागी, निवासी गणेशपुरा गरनावद

13– सुगनबाई पुत्री बाबूलाल पत्नी गोपाल, जाति बैरागी, निपानिया, तहसील बकानी, जिला झालावाड़

14– गिरजा पुत्री बाबूलाल पत्नी दिलीप, जाति बैरागी, निवासी पीपल्याकुल्मी, तहसील बकानी, जिला झालावाड़

15– हेमा पुत्री बाबूलाल पत्नी बालकिशन बैरागी, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

16– प्रभा पुत्री बाबूलाल पत्नी प्रकाश, जाति बैरागी, निवासी रामगंजमण्डी, जिला कोटा

17– मंजूबाई पुत्री चन्द्रप्रकाश पत्नी मांगीलाल, जाति बैरागी, निवासी आनन्दा, तहसील असनावर

18– आशाबाई पुत्री चन्द्रप्रकाश पत्नी मुकेश, जाति बैरागी, निवासी झालरापाटन

19– भगवती बाई पुत्री चन्द्र प्रकाश पत्नी बबलू, जाति बैरागी, निवासी हेमड़ा, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

20– ममता पुत्री चन्द्रप्रकाश पत्नी कैलाश, जाति बैरागी, निवासी गेंहूखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

21– श्यामूबाई पुत्री बालादास पत्नी भंवरदास, जाति बैरागी, निवासी बर्डियाइस्तमुरार, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)––मृतक

21/1– मधुसुदन । पुत्रगण एवं पुत्री.श्यामूबाई जाति बैरागी,

21/2– अनिल । निवासी बर्डियाइस्तमुरार, तहसील गरोठ,

21/3– गोमती । जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)

22– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी.एल. माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 9 की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.09.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काशतकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या– 21/दावा/2015 निर्णय व डिकी दिनांक 28.08.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

(मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट 1 लगायत 9 ने एक वाद अर्न्तगत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट राजेश आत्मज भंवरदास, बैरागी, निवासी गणेशपुरा गरनावद तथा दुर्गीबाई पुत्री भंवरदास पत्नी राधेश्याम बैरागी, निवासी भवानीमण्डी, एवं रेस्पोडेंट्स नम्बर 10 लगायत 22 के खिलाफ पेश किया था। प्रतिवादी राजेश तथा दुर्गीलाल ने सादीलाल नागर को वकील नियुक्त किया तथा प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 5 ने भी अलग वकील किये जिनके वकील ने नो स्ट्रेक्शन प्लीड किया, जिस कारण दिनांक 03.11.2016 को एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने वकील के जर्ये जवाबदावा पेश किया, जिसके बाद वाद में तनकीयात कायम की गई । उभयपक्ष की साक्ष्य तलब की गई । इसी दौरान प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के वकील ने इनकी ओर से पैरवी करने से इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के खिलाफ दिनांक 05.09.2018 को एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया तथा वादीगण की ओर से वादी नम्बर 1, 2 व 5 ने स्वयं के गवाह मांगीलाल व दूधालाल के शपथ पत्र पेश किये एवं प्रदर्श 1 लगायत 13 दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये एवं वादीगण ने लिखित बहस पेश की । जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीवाईज निर्णय किये वादीगण का दावा बाबत घोषणा खातेदारी अधिकार डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि प्रतिवादी नम्बर 1 श्री राजेश का देहान्त दिनांक 02.11.2019 को हो गया है जिस कारण श्री राजेश के पुत्रगण राकेश तथा रवि एवं पुत्री रंजना एवं पत्नी ललताबाई जो कि मृतक राजेश के उत्तराधिकारी कायममुकाम है उनकी ओर से तथा दुर्गीबाई की ओर से यह अपील पेश की जा रही है । प्रतिवादिया नं.

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ भू-प्रबन्ध

14 श्यामूबाई पुत्री बालादास का देहान्त भी निर्णय हाजा के बाद हो गया जिस कारण उसके पुत्रगण, पुत्री को उसके कायम मुकामान उत्तराधिकारी होने से राईट टू सू हासिल है जिस कारण उन्हें भी रेस्पोडेंट नं. 21/1 लगायत 21/3 बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी कानून के खिलाफ है एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। राजेश प्रतिवादी नं. 1 को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी बतायी गयी थी उन्हें दिनांक 14.08.2019 को गवर्मेन्ट मेडीकल कालेज एवं एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा में भर्ती कराया जिन्हें दिनांक 22.08.2019 को डिस्चार्ज कर दिया गया एवं जयपुर रेफर किया गया किन्तु अर्थाअभाव में उन्हें जयपुर नहीं ले जाया गया एवं उनकी मृत्यु दिनांक 02.11.2019 को गणेशपुरा गरनावद में हो गयी, जो काबिल गौर है। राजेश के एडवोकेट श्री सादीलाल नागर ने राजेश को या अपीलांट्स को कोई सूचना उक्त दावे की पेशी बाबत नहीं दी जो उन्हें रजिस्टर्ड ए.डी. से देना चाहिए था उन्होंने गलततौर से नो स्ट्रेक्शन प्लीड किया जिस कारण उनके खिलाफ एक तरफा निर्णय व डिकी पारित की गई जो मनमाना है, परवर्स है, केप्रिसियस है एवं अपास्त होने योग्य है। ग्राम आनन्दपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गणेशपुरा, तहसील पचपहाड जिला झालावाड़ के माल में स्थित आराजी खसरा नं. 44 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नं. 56/1 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा जमाबंदी ग्राम आनन्दपुरा संवत 2072–2075 श्री राजेश एवं दुर्गीबाई पिसरान भंवरलाल, जाति बैरागी निवासी देह के खाते दर्ज रही है। उक्त आराजी में श्री राजेश आ0 भंवरलाल का जो 1/2 हिस्सा था वह उसने एस.बी.बी.जे. बैंक भवानीमण्डी के यहां रहन कर दिया था जिस बाबत नामान्तरकरण संख्या 555 नि. दि. 18.06.2015 रहननामा का इन्द्राज जमाबंदी में है। रेस्पोडेंट ने प्रबन्धक महोदय एस. बी.बी.जे. बैंक भवानीमण्डी को पक्षकार नहीं बनाया जिस कारण भी

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू- प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

(मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★)

निर्णय अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2019 अपास्त किया जावे तथा रेस्पोडेंट्स ने नामान्तरकरण खुलवा कर जमाबंदी में उनका नाम दर्ज करा लिया है उसे खारिज फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.11.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर. डी. 1981 पेज 17, आर.आर.डी. 1983 पेज 310 एवं आर.एल.डब्ल्यू. 1956 पेज 18 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम आनन्दपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड सम्वत 2022—2025 एक्जीविट—1, भू प्रबन्ध विभाग की खतौनी जमाबंदी ग्राम आनन्दपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ सम्वत 2028—2047 एक्जीविट—2, जमाबंदी जमाबंदी ग्राम आनन्दपुरा, पटवार हल्का गणेशपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड सम्वत 2056—2059 एक्जीविट—3, नकल जमाबंदी ग्राम आनन्दपुरा, पटवार क्षेत्र गणेशपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड सम्वत 2068—2071 एक्ज़ीविट—4, नकल जमाबंदी (खतौनी) ग्राम आनन्दपुरा, पटवार हल्का गणेशपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड सम्वत 2039—2042

टंकणकर्ता
कोटा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो—(पी. ए.)
भू- प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू—प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

एक्जीविट–6, भू प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल ग्राम आनन्दपुरा, तहसील पचपहाड़ संवत 2028–2047 एक्जीविट–7, भू प्रबन्ध विभाग खतौनी जमाबंदी संवत 2028–2047 एक्जीविट–8, भू प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल, तहसील पचपहाड एक्जीविट–9, जमाबंदी ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड संवत 2070–2073 एक्जीविट 10, नकल रद्दोबदल ग्राम गणेशपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड एक्जीविट–11, खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम आनन्दपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड संवत 2027–2030 एक्जीविट–12, खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम आनन्दपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड संवत 2027–2030 एक्जीविट–13 दस्तावेज पेश किये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट दिनांक 3–11–2016 में अंकित है कि ''वकुलाय फरी0 उप0। प्रति0 नं0 3, 4, 5 की ओर से वकील कैलाश जैन ने नो इन्ट्रेक्शन प्लीड किया। प्रति0 नं0 3, 4, 5 को रूक–रूक कर आवाज लगवायी गयी अनु0। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। प्रति0 8, 10, 14 बाद सूचना अनु0। इनको रूक–रूक कर आवाज लगवा दी गयी अनु0। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। प्रति0 नं0 7, 12, 13 की प्राप्ति रसीद अप्राप्त इंतजार हो। प्रति0 नं. 6, 9, 11 की तामील आवक प्राप्त। वकील वादी प्रति0 नं0 6, 9, 11 की तलबी हेतु सही पते का पुनः आरएडी का तलबाना पेश करें । पत्रावली तामीली रिपोर्ट होकर दिनांक 30.11.2016 को पेश हो।'' से स्पष्ट होता है कि अभिभाषक द्वारा नो इन्ट्रेक्शन प्लीड की कोई जानकारी किसी भी प्रकार से अपीलांट को नहीं होने से अपीलांट अपना पक्ष एवं साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में रखने से वंचित रह गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः हम प्रकरण को पुनः सुनवायी एवं साक्ष्य हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/9/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा